न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्र.क्र. /16—17 2097/17

404

1. आनंदी यादव तनय लक्ष्मन यादव आयु 50 वर्ष
2. मनोज तनय आनंदी यादव आयु 22 वर्ष
3. महेश तनय आनंदी यादव आयु 19 वर्ष तीनो निवासीयान ग्राम लमेरा तहसील बल्देवगढ़ जिला—टीकमगढ़ म0प्र0

.....निगराकार / आवेदकगण

आज दि. 12-6-17 को

12-6-17

बनाम

1. हिरिया पत्नि मुच्चा आयु 45 वर्ष
   निवासी ग्राम लमेरा तहसील बल्देवगढ़
   जिला—टीकमगढ़ म0प्र0
2. शासन मध्यप्रदेश

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रां.सं. 1959
निगरानी प्रतिकूल विद्वान अधिनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार वृत्त डारगुंवा तहसील बल्देवगढ़ जिला—टीकमगढ़ म0प्र0 के प्र.क्र. 4/अ—70—2016—17 मे पारित आदेश पत्रिका दिनांक ~~30.03.17~~ 12/4/17 के विरूद्ध जिसमे आवेदकगण का आदेश 9 नियम 7 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया से क्षुब्ध होकर

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है—

1. यह कि आवेदकगण के आधिपत्य की भूमि पर अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण की गैर जानकारी मे सीमांकन कराकर धारा— 250 के अन्तर्गत आवेदन अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसमे आवेदकगण दिनांक 30.03.2017 को गेंहू की फसल काटने मे व्यस्थ होने से न्यायालय श्रीमान् मे उपस्थित होने मे असमर्थ रहे जिस कारण से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध 30.03.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/1721 आनंदी विरूद्ध हिरिया व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त डारगुंवा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 4/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 12-04-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-06-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 25/01/19
सदस्य